

20/8

पत्तावली पेश हुई। वकील पंडाकार कृष्ण  
वाले कंस डि 20/8/24 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी  
बादाकुई

पत्तावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य  
... से जनरल तरीके की हो गई। सब  
आदेश की मालना में दिनांक 18/8/24  
को पेश की।  
हरनाथ-सीडर

29/8

पत्तावली पेश हुई। वकील उत्तमपुत्र कृष्ण  
पार्थना पत्र करणानी निषेधाज्ञा पर उत्तमपुत्र  
वकील कंस सुनी। पार्थना पत्र करणानी  
निषेधाज्ञा एवं जवाब पार्थना पत्र का भवलेकिन  
किया गया। पार्थना द्वारा पार्थना पत्र करणानी  
निषेधाज्ञा पेश किया कि वाइसर लॉन्ग  
की खलेदारी गत 10 अक्टूबर के बाद पार्थना के  
पूर्वज वृहीचन्द्र, जानकीलाल व रामसहाय के नाम  
आंकित थी। जिसे राजस्व अधिकारियों ने परि-  
वर्तित कर रामसहाय के पुत्र स्वर्गीय हाथुलान  
को कि लगे में बनाये गये अतिवादीगण संख्या  
4 लठ 10 के पिला व अलि सं 11 के पलि सी  
सहमति से लपने हिस्से में से दान पुत्र  
प्रीत्या के नाम इहाण कर दी। लेकिन प्रबंध

मनीटर बनाम चंगन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 47/2019  
अस्थाई निवेद्याज्ञा

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

कर्मचारियों की लापरवाही के कारण समस्त  
जिसका नम्बरों की शर्त में हानि पुनः कर्मका  
हिस्सा 1/4 फलानिहित रूप में कर्मिण कर दी  
गयी। जिसका शर्त एकीकरण विभाग को  
कोई कर्मिण लापरवाही था। शर्तिका वादग्रस्त  
शर्तिका जो कि उसके पिता शर्तिका की खोदारी  
काश्त की नाश चली ला रही थी, इसमें कर्मका  
हिस्सा 1/5 शुलवाने की कर्मिण है।  
विपरीत वादग्रस्त शर्तिका को किसी अन्य  
कर्मिका के अस्थाई कर्मिण करने व  
शर्तिका को ताकत के बल पर निष्कासित  
करने को फलानिहित है शर्तिका चाकन कर्मिका  
जो कि (कर्मिका सं-1) हाय जवाब लापरवाही  
पेम कर्मिका जला कि शर्तिका वादग्रस्त में कर्मिका  
के पिता शर्तिका की शर्तिका के पश्चात् शर्तिका  
के कोई शर्तिका के हक में शर्तिका व शर्तिका  
कर्मिका के शर्तिका शर्तिका की शर्तिका के  
पश्चात् शर्तिका शर्तिका कर्मिका शर्तिका  
शर्तिका वादग्रस्त में कर्मिका हक हिस्सा का  
लागू शर्तिका सं-1 शर्तिका के हक में कर  
शुकी है ऐसे में शर्तिका कर्मिका शर्तिका वादग्रस्त  
में कर्मिका कर्मिका की हक कर्मिका के लिए  
शर्तिका का पेम नहीं कर सकती है शर्तिका  
एकीकरण हाय शर्तिका : 31-01-1959 को  
की शर्तिका कर्मिका शर्तिका शर्तिका शर्तिका है  
शर्तिका शर्तिका वादग्रस्त के हिस्सा 1/4 के  
शर्तिका से ही शर्तिका रहे हैं शर्तिका एकीकरण  
की कर्मिका शर्तिका 31-01-1959 को शर्तिका  
शर्तिका में शर्तिका के शर्तिका के शर्तिका

2/4/19

मनोहर बंशम सुवाल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 47/2019  
अस्थाई निवेद्यासा

तारीख  
हुकम

एवं सदमात के पश्चात ही 2019 रिकॉर्ड में कमल दरापड किता फा। वसी कटुसुमार परामारण काम दिन तक काबिल मशत स्पले का रहे है। कतः जवब डाक्टर फम कर निवेदन है कि आर्भिया का डाक्टर खारिज करमा जावे। हमने उक्तपक्ष वदस पर मनन किया। उक्तपक्ष वदस पर मनन करने एवं डाक्टर का खारिज निवेद्यासा व जवब डाक्टर एवं फावली के कसलमेवज के काधर पर जइका फावली डेस, इकिध का कन्दुलम व कपूरबीज शारि का सिधन्त आर्भिया के पक्ष में होना बचित खतीर बेल है। कतः आर्भिया आर्भिया पर फरमाती निवेद्यासा खीकार किता जाकर फरमातीनि के जर्म फरमाती निवेद्यासा तर्फसल डूलवाड इस आशम से उतरेबाधित किता जाता है कि वे वाडसत नुमि खसरा नं. 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708 वके ग्राम - फामानेरी गह. फौदीकुई जिला - कोसा में स्थित है। को डिमी नी तरीके से किसी नी डीगर शक्य को रहन, कस व किसी नी तरह से हक्य न्तरित नही करे। आर्भिया को शान्त प्रपिक काबिल होकर उपमोग - उपमोग में व्यवधान पैदा न करे। फावली फेसल सुमार होकर बाद तकमिल हमफिल डूलवाड रहे।

24/8/19

47/2019  
2019



Refert

17/3/19

न्यायालय उप

मति

टी0 आई0 सं0 ---/2019

॥ १ ॥ मनोहर पुत्री बृदीचन्द पतिन  
ब्राह्मण निवासी आभानेरी  
सिकराय जिला दौता ।

॥ १ ॥ उगन पुत्र भीखा जाति ब्राह  
वसवा जिला दौता ।

॥ 2 ॥ राजस्थान सरकार जरिये त

॥ 3 ॥ उप पंजीयक बसवा कार्यालय

"प्रार्थना पत्र अस्था

श्रीमानजी,

प्रार्थीया की और से

प्रस्तुत है :-

॥ १ ॥ यह है कि प्रार्थीया ने आज